**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 54 वर्ष 2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **उपजिला निर्वाचन अधिकारी, उधमसिंहनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **उपजिला निर्वाचन अधिकारी, उधमसिंहनगर** के माह **12/2015** से **10/2017** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **ए. के श्रीवास्तव स.ले.प.अ.** द्वारा दिनांक **10.11.2017** से **17.11.2017** तक **श्री प्रेमचन्द्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

**भाग-I**

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री **राम सनेही सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी**, श्री **एस.के.सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी** द्वारा दिनांक **23.12.2015** से **30.12.2015** तक श्री **पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह **06/2012** से **11/2015** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **उधमसिंहनगर**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि □ लाख में)

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| 2015-16 | - | - | - | - | 269.42 | 267.24 | - | 2.17 |
| 2016-17 | - | - | - | - | 580.27 | 543.71 | - | 36.56 |
| 2017-18 से 10/17 | - | - | - | - | 295.11 | 202.07 | - | 93.03 |

**(ब) Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः शून्य**

**(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य**

इकाई को बजट आवंटन **राज्य सरकार** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी '**बी**' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

| |
|---|
| मुख्य सचिव/मुख्य निर्वाचन आयुक्त |
| मुख्य निर्वाचन आयुक्त |
| अपर मुख्य निर्वाचन आयुक्त |
| उप मुख्य निर्वाचन आयुक्त |
| सहायक मुख्य निर्वाचन आयुक्त |

| |
|---|
| अनुभाग अधिकारी |
| एडीशनल जिला निर्वाचन अधिकारी |
| उप जिला निर्वाचन अधिकारी |
| सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी |

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **<u>वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा</u>** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **<u>मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देहरादून</u>** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह **03/2016 एवं 03/2017** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13 व 16**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**भाग-II 'अ'**

# शून्य

# भाग-II 'ब'

**<u>प्रस्तरः01-</u> उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का पालन न कर बैरिकेटिग, टेण्ट, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्थाओं पर रू 32 लाख की धनराशि अनियमित व्यय किया जाना।**

विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 के लिए टेण्ट बैरिकेटिग, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्थाओं को सम्पादित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रूद्रपुर उधमसिंहनगर द्वारा दिये निर्देशों के क्रम में दिनांक 31.08.2016 को दैनिक समाचार पत्रों में वृहद प्रचार प्रसार के उपरान्त तीन फर्मों के निविदाताओं ने प्रतिभाग लिया। जिसमें मै शक्ति टेण्ट हाउस रूद्रपुर, मै शारदा टेण्ट हाउस रूद्रपुर एवं मै गुप्ता टेण्ट हाउस टनकपुर।

निवादा समिति के सदस्यों द्वारा उपरोक्त फर्मों की दरों का परीक्षण किया गया, जिसमें मैं शक्ति टेण्ट हाउस रूद्रपुर द्वारा प्रकाश एवं माईक व्यवस्था हेतु दरें अंकित नही की गई है। इस लिए इनकी निविदा पर विचार नही किया गया है।

02. मै0 शारदा टेण्ट हाउस रूद्रपुर की दरें अधिक पाई गई। 03 मै गुप्ता टेण्ट हाउस टनकपुर की दरें न्यूनतम पाई गई। क्रय समिति द्वारा बैरिकेटिग, टेण्ट, ध्वनि एवं प्रकाश इत्यादि व्यवस्था हेतु गुप्ता टेण्ट हाउस की दरों से सहमति होते हुए कार्य कराये जाने हेतु अनुमोदित कर दिया गया था। उपरोक्त व्यवस्थाओं हेतु मैं शारदा टेण्ट हाउस द्वारा 48 करोड 67 लाख में कार्य करने हेतु निविदा में दरे पाई गई। जबकि मै गुप्ता टेण्ट हाउस की रू 85 लाख 35 हजार में उक्त कार्य करने हेतु न्यूनतम निविदा पाई गई। मै0 गुप्ता टेंण्ट हाउस टनकपुर से निगोशियेशन किया गया तथा उक्त कार्य को 60 लाख में करने में दोनों पक्षो में सहमति हुई। लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी रूद्रपुर उधमसिंहनगर द्वारा आदेश दिया गया है कि मै शारदा टेण्ट हाउस से निगोशियेशन कर लिया जाए। मै शारदा से निगोशियेशन के उपरान्त कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मै शारदा टेण्ट हाउस द्वारा लोक सभा निर्वाचन 2014 की दरों पर यानि 42 लाख में कार्य करने की सहमति व्यक्त की थी। क्रय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 18 लाख की धनराशि बचत होगी। इसलिए मै शारदा टेण्ट हाउस को ही उक्त कार्य को किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई।

कार्यालय उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उधमसिंहनगर की निविदा पत्रावली की जांच में यह पाया गया है कि जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा मै शारदा टेण्ट हाउस को लोक सभा निर्वाचन 2014 की दरों पर ही कार्य करने में इच्छा व्यक्त की और उसी दरों पर कार्य करने हेतु आदेश दे दिया गया। विधान सभा निर्वाचन 2017 का चुनाव सम्पन्न होने पर रू 13385286 का बिल प्रस्तुत किया गया था। इस बिल पर भी निगोशियेशन करने पर रू 75 लाख में भुगतान हेतु सहमति हुई। सम्प्रेक्षा तिथि दिनांक 16.11.17 तक मात्र रू 32 लाख की धनराशि का भुगतान किया जा चुका था। अवशेष धनराशि रू 43 लाख की धनराशि का भुगतान किया जाना है। इस प्रकार यदि विभाग द्वारा मै गुप्ता टेण्ट हाउस टनकुपर की न्यूनतम दरों में रू 60 लाख में कार्य करने में सहमति थी, तो उसके बावजूद मै शारदा टेण्ट हाउस रूद्रपुर को अधिक निविदा होने पर उसकी निविदा स्वीकार कर रू 15 लाख की धनराशि का अधिक भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। जो कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का उल्लंघन किया गया था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि भविष्य में अनुपालन किया जायेंगा। उत्तर मान्य नही है, क्योंकि विभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं संशोधित नियमावली 2015 का अनुपालन न कर न्यूनतम दर वाली फर्म से अनुबन्ध नही किया गया, जोकि अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन किया गया था।

अतः उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का उल्लंघन कर बैरिकेटिग, टेण्ट, ध्वनि, एवं प्रकाश व्यवस्थाओं पर रू 32 लाख का अनियमित व्यय किये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

**<u>प्रस्तर-02–</u> धनराशि रू 172.77 लाख की प्राप्ति रसीद प्राप्त न होना।**

कार्यालय उपजिला निर्वाचन अधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा प्रमुख सचिव एवं निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 31/xxv-48/2014, दिनांक 11.01.2016 के क्रम में संख्या 143/29-भुगतान/2015-16, दिनांक 29.03.2016 को वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद के 8 तहसीलों में निर्वाचन नामावली के पुनरीक्षण एवं निर्वाचन नामावली सम्बन्धी कार्यों के संचालन एवं सम्पादन हेतु लगाये गये बी.एल.ओ. एवं पर्यवेक्षकों को मानदेय के भुगतान के लिए रू 6000/- प्रति बी.एल.ओ. एवं रू 8000/- प्रति पर्यवेक्षक कुल रू 85,46,000/- की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी, जिसका विवरण निम्न है-

| क्र.सं. | तहसील का नाम | बी.एल.ओ.की संख्या | पर्यवेक्षक की धनराशि | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | जसपुर | 139 | 11 | 9,22,000/- |
| 2. | काशीपुर | 207 | 21 | 14,10,000/- |
| 3. | बाजपुर | 138 | 12 | 9,24,000/- |
| 4. | गदरपुर | 119 | 13 | 8,18,000/- |
| 5. | रूद्रपुर | 191 | 16 | 12,74,000/- |
| 6 | किच्छा | 120 | 10 | 8,00,000/- |
| 7. | सितारगंज | 167 | 17 | 11,38,000/- |
| 8. | खटीमा | 186 | 18 | 12,60,000/- |
| योग | | 1267 | 118 | 85,46,000/- |

इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-849/xxv-48/2014 दिनांक 05.09.2014 एवं संख्या – 10178 दिनांक 30.09.2016 के द्वारा निर्वाचन अधिकारी नामावली के पुनरीक्षण एवं निर्वाचन नामावली सम्बन्धी कार्यों के लिए पूर्व में नियुक्त बी.एल.ओ. को रू 6000/- प्रति बी.एल.ओ. रू 3000/- प्रति बी.एल.ओ. तथा रू 8000/- प्रति पर्यवेक्षक की दर से जनपद रू 8 तहसीलों के तहसीलदारों को मानदेय के भुगतान हेतु कुल रू 87,31,000/- की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी, जिनका विवरण निम्न है-

| क्र.सं. | तहसील की नाम | तहसीलवार पूर्व से नियुक्त बी.एल.ओ. की संख्या | तहसीलवार 01 अक्टूबर-2016 से लगाये गये बी.एल.ओ. की संख्या | पर्यवेक्षकों की संख्या | धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | जसपुर | 139 | 02 | 13 | 9,44,000/- |
| 2. | काशीपुर | 207 | 10 | 21 | 14,40,000/- |
| 3. | बाजपुर | 138 | 04 | 14 | 9,52,000/- |
| 4. | गदरपुर | 119 | 03 | 13 | 8,27,000/- |
| 5. | रूद्रपुर | 191 | 05 | 17 | 12,97,000/- |
| 6. | किच्छा | 120 | 11 | 09 | 8,25,000/- |
| 7. | सितारगंज | 167 | 07 | 17 | 11,59,000/- |
| 8. | खटीमा | 186 | 09 | 18 | 12,87,000/- |
| कुल | | 1267 | 51 | 122 | 87,31000/- |

उपरोक्त से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में नियुक्त किये गये बी.एल.ओ. एवं पर्यवेक्षकों के मानदेय के भुगतान हेतु सम्बन्धित तहसील के तहसीलदारों को उपलब्ध करायी गयी कुल धनराशि रू 1,72,77,000/- (रू 85,46,000+87,31,000/-) के सापेक्ष वर्तमान तक धनराशि की प्राप्ति रसीद प्राप्त नही हुयी थी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि सम्बन्धित तहसीलों से भुगतान प्राप्ति रसीद प्राप्त कर आपके कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अतः रू 172.77 लाख की प्राप्ति रसीद प्राप्त न होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

# भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | प्रस्तर का विवरण | STAN |
|---|---|---|---|---|
| ले.प. प्रति.सं.- 08/12-13 | - | 04 | 1. व्ययधिक्य धनराशि रू 5.49 लाख।<br>2. ठेकेदार को रू 11.32 लाख का अधिक भुगतान।<br>3. लम्बित दायित्वों का सृजन रू 58.21 लाख।<br>4. अग्रिम 1.99 लाख का समायोजन लम्बित रहना। | - |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 08/12-13 | `- | अप्रस्तुत | अप्रस्तुत के कारण संस्तुति नही की जा सकी है। | - |

**भाग-IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

**भाग-V**

**आभार**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **उपजिला निर्वाचन अधिकारी, उधमसिंहनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- ले.प.प्रति.सं. 08/12-13 की अनुपालन आख्या।**
2. **सतत् अनियमितताएः शून्य**
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः**

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम | पदनाम | कार्यरत समय अवधि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | कबसे | कबतक |
| 1. | श्री चन्देश कुमार | जिला निर्वाचन अधिकारी | 22.09.2016 | 22.03.2017 |
| 2. | डा0 नीरम खैरवाल | जिला निर्वाचन अधिकारी | 24.03.2017 | वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपजिला निर्वाचन अधिकारी, उधमसिंहनगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
**सामान्य क्षेत्र**